UPLK010098372017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 518 / 2017

सरकार **बनाम** सतीश सिंह उर्फ नान सिंह

अ0सं0 71 / 2017
धारा–354,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–माल, लखनऊ।

06–03–2026

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ नान सिंह व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17–04–2026 को पेश हो।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010098372017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>विशेष परीक्षण सं0 518/2017</u>

सरकार **बनाम** सतीश सिंह उर्फ नान सिंह

अ0सं0 71/2017
धारा–354,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–माल, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, हुसैन अहमद अंसारी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ नान सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 22–02–2017 समय लगभग 09.00 बजे रात थाना माल, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम रनीपारा आप अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ नान सिंह ने वादिनी मुकदमा रूपा के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें किया। आपके द्वारा कारित अपराध एस0सी0/एस0टी0 ऐकट के तहत अनुसूची का अपराध है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 सपठित धारा 3(2)va एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ नान सिंह ने वादिनी मुकदमा रूपा को गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ नान सिंह ने वादिनी मुकदमा रूपा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांकः 06–03–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6158

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांकः 06–03–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6158